IS 19469:2025

Jewellery — Consumer Confidence in the Diamond Industry (ISO 18323 : 2015, MOD)

This Indian Standard has been developed to protect consumers and strengthen trust in the diamond and jewellery market. Its primary objective is to ensure that buyers clearly understand the nature and origin of the diamonds they purchase, particularly in today's market where laboratory-grown diamonds are increasingly available alongside natural diamonds.

It lays down clear, simple, and uniform rules for the description, labelling, and advertising of diamonds and diamond-like products. It explains the distinctions between natural diamonds, laboratory-grown diamonds, treated diamonds, composite stones, and imitation diamonds, so that consumers are not misled. A key requirement is that the word "diamond," when used without any qualification, may refer only to a natural diamond. Any laboratory-grown or treated diamond must be disclosed clearly and described using accurate and unambiguous terminology.

To prevent confusion and deceptive practices, the standard strictly prohibits the use of misleading words, abbreviations, or promotional phrases such as "lab diamond", "fake diamond" or the use of terms like "natural" for laboratory-grown products. It also requires full disclosure of any treatments applied to diamonds, including processes such as colour enhancement, fracture filling, or other modifications.

Overall, It empowers consumers to make informed purchasing decisions, promotes transparency and honesty in trade, and encourages fair and ethical practices across the jewellery industry.

IS 19469 : 2025

आभूषण — हीरा उद्योग में उपभोक्ता विश्वास (ISO 18323 : 2015, संशोधित)

यह भारतीय मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हीरा एवं आभूषण बाज़ार में विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदार जिस हीरे की खरीद करते हैं, उसकी प्रकृति और उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकें, विशेषकर वर्तमान बाज़ार की परिस्थितियों में, जहाँ प्राकृतिक हीरों के साथ-साथ प्रयोगशाला में निर्मित हीरे भी बढ़ते रूप में उपलब्ध हैं।

यह मानक हीरों तथा हीरा-सदृश उत्पादों के वर्णन, लेबलिंग और विज्ञापन के लिए स्पष्ट, सरल और एकरूप नियम निर्धारित करता है। इसमें प्राकृतिक हीरे, प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, उपचारित हीरे, संयुक्त पत्थर तथा नकली हीरों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को भ्रमित न किया जा सके। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि बिना किसी विशेषण के प्रयुक्त शब्द "हीरा" केवल प्राकृतिक हीरे के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी प्रयोगशाला में निर्मित या उपचारित हीरे का स्पष्ट खुलासा किया जाना अनिवार्य है और उसका वर्णन सटीक एवं अस्पष्टता-रहित शब्दावली में किया जाना चाहिए।

भ्रम और भ्रामक व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने के लिए, यह मानक "लैब डायमंड", "फेक डायमंड" जैसे भ्रामक शब्दों, संक्षिप्त रूपों या प्रचारात्मक वाक्यांशों के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है, तथा प्रयोगशाला में निर्मित उत्पादों के लिए "प्राकृतिक" जैसे शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त, हीरों पर किए गए किसी भी प्रकार के उपचार—जैसे रंग संवर्धन, दरार भरना या अन्य संशोधन—का पूर्ण खुलासा करना भी आवश्यक है।

समग्र रूप से, यह मानक उपभोक्ताओं को सूचित और समझदारीपूर्ण खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, तथा आभूषण उद्योग में निष्पक्ष और नैतिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।